भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2409

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

जलगांव में रोजगार अवसरों का प्रभाव

2409. श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रूप से महाराष्ट्र में 2006-2013 की तुलना में 2014-2024 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संचयी रूप से नियोजित लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मनरेगा ने उक्त अवधि के दौरान जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मनरेगा लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने में आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की भूमिका क्या है;

(घ) आधार-आधारित डीबीटी ने किस प्रकार महाराष्ट्र में मनरेगा लाभार्थियों की आजीविका बढ़ाने में योगदान दिया है; और

(ङ) जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के लिए मनरेगा के लाभ को इष्टतम करने के लिए कार्यान्वित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2013-14 और 2014-15 से 2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत सभी राज्य/ संघ राज्य (महाराष्ट्र सहित) में सृजित श्रम-दिवसों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2013-14 और 2014-15 से 2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सभी राज्य/संघ राज्य (महाराष्ट्र सहित) में सृजित श्रम-दिवसों का ब्यौरा		
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सृजित श्रम-दिवस (करोड़ में)

1	2006-07 से 2013-14 तक	1,660.77
2	2014-15 से 2024-25 तक (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार)	2,955.53

वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2013-14 और 2014-15 से 2024-25 तक (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में सृजित श्रम-दिवसों का ब्यौरा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सृजित श्रम-दिवस (करोड़ में)
1	2006-07 से 2013-14	34.00
2	2014-15 से 2024-25 (05.12.2024 की स्थिति अनुसार)	87.88

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(ख) और (ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान है। यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है , अर्थात कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध न होने की स्थिति में यह ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का विकल्प है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सृजित कार्य-दिवसों , पूर्ण हो चुके कार्यों की संख्या और व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सृजित कार्य-दिवसों, पूर्ण हो चुके कार्यों की संख्या और व्यय का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (06.12.24 की स्थिति के अनुसार)
सृजित कार्य- दिवस (लाख में)	22.15	21.2	21.1	18.36
पूर्ण हो चुके कार्यों की संख्या	11,684	11,269	20,209	9,258
व्यय (करोड़ में)	76.56	95.73	103.16	87.12

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

योजना के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने और महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए , सभी राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रसार के लिए वॉल पेंटिंग सहित उचित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करें (ii) मांग पंजीकरण प्रणाली के दायरे और कवरेज का विस्तार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम की मांग अपंजीकृत न रहे, (iii) भागीदारी मोड में योजनाएं तैयार करें और उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदित करें। (iv) 'रोजगार दिवस' का आयोजन करें।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों द्वारा बैंक खाता संख्या के बार-बार परिवर्तन और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा बाद में अद्यतन न करने के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करने के लिए, आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया, जो बैंक खाते के परिवर्तन के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से मजदूरी का भुगतान लाभार्थियों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डालता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि लाभ बिना किसी देरी या चोरी/भ्रष्टा चार के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। वित्तीय वर्ष 2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में किए गए एपीबीएस लेनदेन का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत महाराष्ट्र में किए गए एपीबीएस लेनदेन का विवरण (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	कुल लेनदेन	एपीबीएस लेनदेन	एपीबीएस लेनदेन %
महाराष्ट्र	1,96,77,421	1,82,66,588	92.83

*****